BUSTARDS HUNTING

3704. SHRI G. NARSIMHA REDDY : SHRI ASHOK GEHLOT :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are proposing to allow hunting of bustards once again;

(b) if so, the basis for this;

(c) whether Government's decision would also extend to other protected birds or animals and whether some of the State Governments have opposed such Central move; and

(d) if so. whether Government would reconsider their move ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

ACCOMMODATION PROBLEM TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES WORKING AT ERNAKULAM, KERALA

3705. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that so many employees of Central Government working at Ernakulam Kerala are finding themselves in difficulty for their accommodation; and

(b) whether Government of India propose to construct Government quarters at Ernakulam for providing them accommodation ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH) : (a) My Ministry has no reports to show that the Central Government employees at Ernakulam (Kerala) are finding themselves in difficulty for their accommodation.

(b) There is no proposal at present to construct "general pool" residential quarters for Central Government employees at Ernakulam.

समाज के निर्धन वर्गों के लिए मकान

3706. **श्री मूलचन्द डागा : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने समाज के निर्धन वर्गों के 20-सूत्रीय कार्यक्रमों के अधीन मकान उपलब्ध कराने, गंदी बस्तियों का उन्मूलन करने तथा रिहायशी भूमि की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ये योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं और राज्य सरकारें उनका कार्यान्वयन कर रही हैं । 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का कुशलता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के प्रश्न को स्थानीय शासन एवं नगर विकास की केन्द्रीय परिषद् की 19 वीं बैठक में रखा गया था जिसमें राज्य आवास मन्त्रियों को भी आमन्त्रित किया गया था । केन्द्रीय परिषद् ने रूप रेखाएं निर्दिष्ट करते हुए कई संकल्पों को पारित किया था, जिस पर राज्य सरकारें अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर सके । कार्यान्वयन की गति को तीव्र करने की दृष्टि से कुछ राज्य सरकारों के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया है । राज्यवार लक्ष्य तैयार किए गए हैं । सांविधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जा रही हैं और प्रगति की ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जाएगी ।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में, 1982-83 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इन लक्ष्यों की तुलना में प्राप्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा ।

भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत अर्जित भूमि

3707. **श्री मूल चन्द डागा : क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि सीमा कानूनों के अंतर्गत कितने एकड़ कृषि भूमि अर्जित की जानी है और अर्जित की जाने वाली भूमि राज्यवार कितने एकड़ होगी, और

(ख) अब तक प्रत्येक राज्य से इस प्रकार की कितनी भूमि अर्जित की गई है और कितने एकड़ भूमि अर्जित किए जाने के लिए शेष है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) यह अनुमान लगाया गया था कि संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत 52.42 लाख एकड़ भूमि को फालतू घोषित किया जाएगा। इसके मुकाबले में अभी तक वास्तविक रूप से फालतू घोषित भूमि 40.05 लाख एकड़ है। इसमें से 18.79 लाख एकड़ भूमि को वितरित किया गया है। विभिन्न अदालती मामलों में अधिकांश भूमि फालतू घोषित की हुई शामिल है, न कि वितरित की गई। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	सम्भाव्य अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का अनुमान	संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अंतर्गत अभी तक कब्जे में ली गई भूमि	फालतू घोषित भूमि लेकिन जिसे कब्जे में नहीं लिया गया है
	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	10,00,000	4,34,780	4,74,547
असम	5,81,540	5,06,866	74,674
बिहार	3,00,000	1,47,643	89,947
गुजरात	1,41,774	56,106	85,608
हरियाणा	30,380	18,319	9,343
हिमाचल प्रदेश	2,85,816	93,371	816
जम्मू व कश्मीर	—	—	—
कर्नाटक	4,00,000	1,03,803	1,69,070
केरल	1,50,000	80,594	40,097
मध्य प्रदेश	2,56,666	1,42,973	1,13,693
महाराष्ट्र	3,74,577	2,90,467	84,110
मणिपुर	1,819	36	993
उड़ीसा	2,00,000	1,20,943	16,129
पंजाब	46,563	16,032	30,531
राजस्थान	7,94,000	2,33,496	31,443
तमिलनाडु	2,04,395	77,555	3,352
त्रिपुरा	4,931	1,623	204
उत्तर प्रदेश	2,82,884	2,61,164	21,720
पश्चिम बंगाल	1,72,467	1,03,326	57,495
दादर व नगर हवेली	9,390	6,079	2,879
दिल्ली	1,500	374	348
पांडिचेरी	3,211	1,046	1,514
योग	52,41,913	26,96,656	13,08,513